खबर संक्षेप

खाना खाने के बाद एक परिवार के चार लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती

सतना। दोपहर का खाना खाने के बाद एक ही परिवार की चार सदस्य बीमार हो गए। सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। घटना मझगवां थाना अंतर्गत बिछियन गांव की है। बताया जाता है कि एक के बाद एक व्यक्ति की तबीयत खराब होती गई। जिस घर में लोग घबरा गए। जानकारी के मुताबिक सभी लोगों को 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया। चिकित्सकों के मुताबिक फूड प्वाइजनिंग की वजह से सभी सदस्य बीमार हुए हैं। सभी की तबीयत खतरे से बाहर है। इलाज किया जा रहा है।

लापता व्यापारी का नहीं मिला सुराग

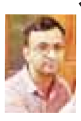

सतना। विन्ध्य चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधि मण्डल चेम्बर अध्यक्ष सतीश सुखेजा के नेतृत्व में सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच कर पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता से मुलाकात की। चेम्बर महामंत्री संदीप कुमार जैन ने बताया कि व्यापारी प्रकाश लालवानी उम्र 44 वर्ष 10अप्रैल को रात्रि 7:30 बजे मोटर साइकिल क्र. एमपी 19 जेड एफ 7627 से निकले थे। जिसके बाद वह आज दिनांक तक घर नहीं लौटे। इस सम्बन्ध में व अन्य महत्वपूर्ण विषयों से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन देते हुए कह कि व्यापारी को खोजने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। एवं अतिशीध्र खोज लेगे। इस अवसर पर चेम्बर अध्यक्ष सतीश सुखेजा,वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोहर वाधवानी,महामंत्री संदीप कुमार जैन एवं अन्य व्यापारी सहित उनके परिवार जन उपस्थित रहे।

कमिश्नर आज गूगल मीट से करेंगे पेयजल व्यवस्था की समीक्षा

सतना। रीवा संभाग के कमिश्नर गोपालचन्द्र डाड 30 अप्रैल को प्रातः 11.30 बजे से आयोजित गूगल मीट में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसमें जल जीवन मिशन से पेयजल की आपूर्ति,हैण्डपंपों के सुधार की व्यवस्था तथा पेयजल परिवहन की समीक्षा की जायेगी। बैठक में संभाग के सभी जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुक्त नगर निगम,संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन तथा पीएचई विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे।

बैठक के निर्णयों का पालन प्रतिवेदन दो दिवस में दर्ज कराएं

सतना। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर गोपाल चन्द्र डाड ने संभागीय बैठक के निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि दोनों संभागीय बैठकों के 129बिन्दुओं पर संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही करनी है। सभी अधिकारी समुचित कार्यवाही करके एजेण्डा बिन्दुओं में दिए गए निर्देशों का पालन प्रतिवेदन दो दिवस में ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराएं। संभाग स्तर के बिन्दुओं पर कमिश्नर कार्यालय तथा जिला स्तर के बिन्दुओं पर कलेक्टर कार्यालय से पालन प्रतिवेदन दर्ज होगा। पालन प्रतिवेदन दर्ज करने में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर कमिश्नर कार्यालय से संपर्क करें। समय सीमा में पालन प्रतिवेदन दर्ज न करने पर कठोर कार्यवाही के लिए तैयार रहें। कमिश्नर ने कहा कि दोनों बैठकों में कई बिन्दु राज्य स्तर से संबंधित हैं। इनमें जिला और संभाग स्तर के अधिकारी आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर राज्य स्तर को प्रेषित करें।ऐरा प्रथा को रोकने के लिए किए गए प्रयासों को दर्ज कराएं।

बारातियों को लेकर जा रही बस बिरसिंहपुर के पास पलटी, 24 लोग घायल

बारात लेकर जा रही एक बस सभापुर थाना क्षेत्र के बिरसिंहपुर इलाके में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में 24 लोग घायल हो गए जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। सभी को बिरसिंहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और गंभीर रूप से घायल लोगों को सरदार वल्लभभाई पटेल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है।

सतना।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोमवार की दोपहर गुढवा से आ रही पटेल बस सर्विस की बस (MP19 P0401) गुढवा नदी के आगे एक मोड़ पर बेकाबू होकर पलट गई। बस चौधरी समाज की बारात लेकर सभापुर थाना क्षेत्र के गुढवा से सतना के टिकुरिया टोला जा रही थी। हादसे में बस सवार बाराती घायल हुए हैं। घायलों को आनन फानन में बिरसिंहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद 15 घायलों को सरदार वल्लभभाई पटेल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायलों में अभिलाषा रावत 24वर्ष निवासी सेलौरा,बेला तिवारी पति जय गोविंद तिवारी 65 वर्ष निवासी पटना कला,पूजा साकेत द्वारिका साकेत 18 वर्ष निवासी रीवा,त्रिवेणी चौधरी राम सजीवन उम्र वर्ष,राम लखन साकेत निवासी रीवा,सत्येंद्र चौधरी पिता कमलेश चौधरी 23 वर्ष निवासी सतना,सोनू चौधरी पिता जगदीश 18 वर्ष निवासी सतना,अंशु सोंधिया पप्पू सतना,लक्ष्मण चौधरी भागीरथी 48 वर्ष निवासी सतना,दुकौडी लाल गुलाब चौधरी 51 वर्ष निवासी कृष्ण नगर,प्रतिभा छेदीलाल 60 वर्ष निवासी शुकवाह,आलोक साकेत पिता प्रदीप निवासी टिकुरिया टोला,पुष्पांजलि पिता लालमन 13 वर्ष निवासी नागौरा,मल्लिका पिता रज्जन 15 वर्ष निवासी सगमनिहा,बृजलाल साकेत पिता दसई 65 वर्ष निवासी टिकुरिया टोला,विश्राम चौधरी पिता सुखदेव 65 वर्ष निवासी सतना,राम सजीवन पिता दसई 60 वर्ष निवासी सतना,शिव गणेश पिता शिव कलेश 8 वर्ष निवासी शुकवाह,बिट्टी पति रामशरण 40 वर्ष निवासी सिजहटा, प्रदीप साकेत पिता बृज लाल 50 वर्ष निवासी टिकुरिया टोला,मनीषा साकेत पिता प्रेमलाल 16 वर्ष निवासी शुक्रवाह,कांति पति प्रेमलाल 40 वर्ष निवासी शुक्रवाह,ज्योति साकेत पिता संतोष 22वर्ष निवासी कैलाश पुर,गायत्री साकेत कल्याण 30 वर्ष निवासी शुक्रवाह,उपेंद्र कुमार कोरी भगवान दीन 26 वर्ष निवासी नरदहा शामिल हैं।

बाइक चोर गिरोह पुलिस के हत्थे चढे

दो बाल अपचारी सहित कुल तीन आरोपियों से चोरी गई 7 मोटर सायकल बरामद

सतना।

कोलगवां कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक नाबालिक आरोपी शामिल है। पकड़े गए बदमाशों से चोरी की सात मोटरसाइकिल बारमद की गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नई बस्ती डोंगरी का प्रकाश डोहर चोरी की मोटर सायकल बिक्री करने की बात कर रहा है। तथा अपने पास चोरी की कुछ मोटर सायकल रखा है। जिसे मुखबिर सूचना पर घेराबंदी कर पकडा गया। जिन्हे अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। जहां संदेही से बाइक चोरी के संबंध में पूंछताछ की गई जिसने अपने बाल अपचारी दो साथियों के साथ मिलकर थाना कोलगवां क्षेत्र मे विभिन्न स्थानों से वर्ष 2022 से लगातार 7मोटर सायकल चोरी करना स्वीकार किया तथा तीन मोटर सायकल हिस्साबांट में स्वंय के पास होना व 02-02 मोटर सायकल बाल अपचारी साथियों के कब्जे मे होना बताये। दोनों बाल अपचारियों को दविश देकर अभिरक्षा में लिया गया जिनके कब्जे से चोरी की चार मोटर सायकल सहित तीनों आरोपियों से कुल 7नग चोरी की मोटर सायकल जब्त किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।आरोपियों से बरामद की गई हीरो होण्डा डिलक्स क्रमांक MP19 MG 1043 (अपराध क्रमांक 679/24),हीरो होण्डा स्पेलेंडर प्लस क्रमांक MP 19 MZ 3668 (अपराध क्रमांक 636/24) हीरो स्पेलेंडर प्लस क्रमांक MP19MA6050 (अपराध क्रमांक 676 /24) होण्डासाइन क्रमांक MP19MP1135 (अपराध क्रमांक 677/24) हीरो HF डिलक्स क्रमांक MP 19 NA 4601(अपराध क्रमांक 1321/23) हीरो HFडिलक्स क्रमांक MP19MQ 0776(अपराध क्रमांक 985/22) मोटर सायकल क्रमांक MP19NA3841 कुल 07नग मोटर सायकल कीमती 04लाख 50 हजार रुपये है।उपरोक्त बाइक चोर गिरोह के खुलासे एवं बरामदगी में निरीक्षक सुदीप सोनी थाना प्रभारी कोलगवां,उनि रामावतार पटेल चौकी प्रभारी बाबूपुर,सउनि उमेश पाण्डेय,सउनि मुकेश सिंह,प्रआर कमलाकर सिंह,अनिरुद्ध दिवेदी,रावेद्र तिवारी,रामानुज शर्मा,अमर सिंह चौहान,अभिषेक पाण्डेय,नीरज सिंह,वेद प्रकाश,आर.धर्मेन्द्र गुर्जर,कृष्णरंजन,रिंकू जाटव,उपेश पाठक,सतेन्द्र यादव,महेन्द्र सिंह की भूमिका रही है।

लोकसभा निर्वाचन 2024: विधानसभा चित्रकूट और रैगांव में तैनात की गई एसएसटी

सतना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये घोषित कार्यक्रमानुसार पूरे देश में मतदान की प्रक्रिया सात चरणों में संपन्न हो रही है। सतना संसदीय क्षेत्र की सीमा से जुडें हुये संसदीय क्षेत्र बांदा (उत्तरप्रदेश) में मतदान पांचवे चरण में 20 मई को संपन्न होगा। इस अवधि तक के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना अनुराग वर्मा ने विधानसभा चित्रकूट और रैगांव की चेकपोस्ट में स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) की तैनाती की है। स्टैटिक सर्विलांस टीम का ए और बी समूह चेकपोस्ट पर भारी मात्रा में लायी जाने वाली नकदी,अवैध शराब एवं अन्य संदेहास्पद वस्तु या शस्त्र की आवाजाही पर निगरानी बनाये रखेगा। संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में 3 और रैगांव विधानसभा क्षेत्र में एक एसएसटी तैनात की गई है। जारी आदेशानुसार विधानसभा चित्रकूट और रैगांव अंतर्गत एसएसटी का ए समूह सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक एवं बी समूह रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चेकपोस्ट पर कार्यरत रहेगा।विधानसभा चित्रकूट में चेकपोस्ट स्थल गुप्त गोदावरी मोड नयागांव, सेमरिया रोड हरिहरपुर थाना सभापुर,पिण्डरा तिराहा थाना मझगवां तथा विधानसभा रैगांव में सिंहपुर तिराहा थाना सिंहपुर में एसएसटी तैनात रहेगी। एसएसटी में शामिल टीम प्रमुख को मजिस्ट्रेट के रुप में एवं सहायक उप निरीक्षक स्तर के पुलिस कर्मी को चेकपोस्ट प्रभारी के रुप में नियुक्त किया गया है।

निकटवर्ती जिले में मतदान संपन्न होने तक सक्रिय रहेगी एफएसटी

सतना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये घोषित कार्यक्रमानुसार पूरे देश में मतदान की प्रक्रिया सात चरणों में संपन्न हो रही है। इसका पहला और दूसरा चरण संपन्न हो चुका है। आगामी चरणों की मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने सतना संसदीय क्षेत्र की सीमा से लगने वाले उत्तरप्रदेश राज्य के संसदीय क्षेत्र बांदा में 20 मई को होने वाले मतदान के लिये फ्लाइंग स्कवाड टीम (एफएसटी) गठित कर विधानसभावार अधिकारियों-कर्मचारियों की तैनाती की है। यह फ्लाइंग स्कवाड टीम मतदान संपन्न होने तक 24 घंटे सतत व्यय निगरानी करेगी। टीम के प्रमुख अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन के दौरान क्षेत्र का भ्रमण कर चुनाव को प्रभावित करने वाली नकदी का अवैध आदान-प्रदान,शराब का वितरण या अन्य कोई संदेहास्पद वस्तु जो मतदाताओं को घूस देने में प्रयोग की जा रही हो,उस पर निगरानी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारुप में एआरओ,पुलिस एवं नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय लेखा को देना सुनिश्चित करेंगे।

लेप्टोस्पाइरोसिस के लक्षण, जांच एवं सलाह

सतना। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि लेप्टोस्पाइरोसिस का कारण बनने वाले बैक्टीरिया संक्रमित जानवरों मुख्य रूप से चूहा एवं कई तरह के अलग-अलग जंगली और घरेलू जानवरों के मूत्र के माध्यम से फैलते हैं। जो पानी या मिट्टी में मिल सकते है और वहां हफ्तों से लेकर महीनों तक जीवित रह सकते हैं। यह संक्रमित जानवरों से मनुष्यों को संक्रमित करते हैं। यह जूनोटिक बीमारी कहलाती है एवं यह गैर संक्रामक बीमारी है। लेप्टोस्पाइरोसिस दो चरणो में हो सकता है। पहले चरण में रोगी को बुखार,ठण्ड लगना,सिर दर्द,मांस पेशियों में दर्द,उल्टी आना,दस्त लगना,घबराहट होना आदि होते है। कुछ समय के लिये रोगी ठीक हो सकता है लेकिन फिर से बीमार हो जाता है। दूसरे चरण में रोगी अधिक गंभीर होता है। रोगी को किडनी या लीवर फेलियर या मेनिनजाइटिस हो सकता है। लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी की जांच हेतु आई.जी.एम. टेस्ट के द्वारा कन्फर्म किया जाता है। यह जाँच आई.सी.एम.आर.लैब जबलपुर में होती है। जिसकी रिपोर्ट 15 से 20 दिवस तक लैब द्वारा प्रदाय की जाती है। लेप्टोस्पाइरोसिस का लैब टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर की सलाह अनुसार पैनीसिलीन और डाक्सीसाईक्लीन एन्टी वायोटिक एवं लक्षणो के आधार पर भर्ती कर समुचित उपचार किया जाता है। लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी से सावधान रहने के लिये अपने-अपने घरों में मुख्यतः चूहों को पकड़ने हेतु चूहेदानी का इस्तेमाल करना एवं खाने-पीने की वस्तुओं को ढंककर रखना एवं बुखार आने पर नजदीकी अस्पताल में सम्पर्क कर खून की जाँच कराना अनिवार्य है। बीमारी का समुचित ईलाज संभव है।

खेतों की नरवाई नहीं जलायें किसान

सतना।

रबी फसल के तहत गेंहू एवं अन्य फसलो की कटाई हो चुकी है। अधिकतर कृषक हार्वेस्टर से कटाई करते हैं,जिसके बाद शेष डंठल या फसल अवशेष जमीन में लगा हुआ 90 प्रतिशत भाग बच जाता है,जिसे नष्ट करने के लिए किसान आग लगा देते हैं। आग लगाना खेत में बहुत घातक होता है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग ने जिले के किसानों से अपील की है कि नरवाई के निष्पादन के लिये खेतों में आग नहीं लगायें। आग लगाने से जमीन में उपलब्ध सूक्ष्मजीव जो कि मिट्टी को बनाने में सहायक का कार्य करते हैं या सभी लाभदायक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम या नष्ट हो जाती है। एक इंच मिट्टी के बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं लेकिन छोटे से फायदे के लिए खेत में आग लगाना नुकसानदायक हो सकता है। घास तथा पत्तियों को जलाने पर उससे जो अवशेष बचता है जिसको राख या भस्म कहते हैं, इसमें बीज को या पौधों को उगा नहीं सकते हैं।

फसल अवशेषों का भूसा बनवाने किराये पर उपलब्ध हैं कृषि यंत्र

उप संचालक कृषि विकास एवं किसान कल्याण ने बताया कि किसान नरवाई को न जलाकर उन्नत कृषि यंत्रो का उपयोग कर पशुओं के लिये भूसा बनवा सकते हैं। इसके लिये उन्नत कृषि यंत्र जैसे रीपर, स्ट्री-रीपर को प्राथमिकता दें। सतना और मैहर जिले में कस्टम हायरिंग सेंटर उपलब्ध हैं। कृषक, कृषि यंत्रों को किराये पर ले सकते हैं। इस संबंध की जानकारी कृषि यंत्री शरद कुमार नर्वे (मो.नं. 9826289760) एवं सहायक कृषि यंत्री विशारद प्रसाद त्रिपाठी (मो.नं. 8224029722) से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

नष्ट हो जाते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले सूक्ष्म जीव

बिना विचार कर खेत में आग लगा देने से जमीन में विद्यमान लाभदायक सूक्ष्म जीव जो कि खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता करते हैं,वह सभी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही किसान का मित्र केंचुआ भी नष्ट हो जाता है,जो खाद बनाने का कार्य करता है,जिसे खाद बनाने की मशीन भी कहते हैं। इसलिए कभी भी खेत में आग नहीं लगाना चाहिए। इसलिए कृषकों से अनुरोध है कि आग लगाने के बजाय कटाई के बाद जो फसल का अवशेष बचता है उसमें कल्टीवेटर की सहायता से या हेरो की सहायता से या प्लाऊ की सहायता से उसी खेत में मिट्टी में मिला दें जिससे खेत में ही बिना खाद डाले खाद बनकर तैयार हो जायेगी। जिससे जमीन की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी और फसलों की पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी।

नरवाई जलाने पर होगी कार्यवाही

उप संचालक कृषि विकास एवं किसान कल्याण ने बताया कि जिले गेहूं फसल की कटाई के बाद नरवाई (फसल अवशेषों) जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार यदि किसी भी व्यक्ति या कृषक द्वारा नरवाई जलाने की सूचना संज्ञान में आती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होने बताया कि पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के क्रम में एयर एक्ट 1981 (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्युशन) के तहत फसल कटाई के बाद फसल अवशेष जलाने को प्रतिबंधित किया गया है।

खबर संक्षेप

नेशनल लोक अदालत 11 मई को

पन्ना। नेशनल लोक अदालत शनिवार 11 मई को आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में सभी तरह के कम्पाउण्डेवल मामलों के निराकरण का प्रयास किया जायेगा, जिसमें मध्यप्रदेश सरकार पक्षकार है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की संतुष्टि के साथ लंबित मामलों का निराकरण किया जायेगा। लोक अदालत में मुख्य रूप से आपराधिक समझौता योग्य प्रकरण, धन वसूली संबंधित प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावे से संबंधित मामले, श्रम एवं रोजगार विवादों से संबंधित मामले, बिजली, पानी और अन्य बिल भुगतान से संबंधित मामले, वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, वेतन-भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ के सेवा मामलों से संबंधित प्रकरणों के साथ राजस्व से संबंधित मामलों के निराकरण के प्रयास भी किये जायेंगे।

कलेक्टर ने मॉकड्रिल के क्रियान्वयन के संबंध में सौंपा दायित्व

पन्ना। कलेक्टर सुरेश कुमार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वाराणसी एवं क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केन्द्र लखनऊ द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में बुधवार, एक मई को प्राकृतिक आपदा भूकम्प विषय पर मॉकड्रिल के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी कर अधिकारियों को दायित्व सौंपा हैं। मॉकड्रिल श्री जगन्नाथ स्वामी टाउन हॉल पन्ना में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। इसके लिए संयुक्त कलेक्टर कुशल सिंह गौतम को संपूर्ण मॉक अभ्यास के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही पन्ना जिला अंतर्गत समग्र आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता के लिए भी नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अशोक चतुर्वेदी को ग्रामीण क्षेत्र और परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण शशिकपूर गढ़पाले को शहरी क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा मॉक अभ्यास के संबंध में क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्धारित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के असफल विद्यार्थी रुक जाना नहीं योजना के तहत देंगे पुनः परीक्षा

दमोह । जिले के समस्त शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी विद्यालय के प्राचार्यों की विवेक्स पर ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया कि हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024 में कक्षा दसवीं एवं 12वीं के सभी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत पुनः परीक्षा में पंजीकृत करेंगे। उन्होंने कहा उन्हें उन विद्यार्थियों की बहुत चिंता है जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं उन छात्रों के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और उनके लिए राज्य शासन की रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत उनको पुनः परीक्षा देने का अवसर प्राप्त होता है।

लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान का बहिष्कार को लेकर चर्चा गरमाई, अंततः हुआ मतदान पर विकास को लेकर

ग्रामीणों की दरकार विद्युत व सड़क को लेकर सामने आई

जिले के सुदूर ग्राम कल्दा पहाड़ अंतर्गत सरसा की बात करें जो ग्राम पंचायत मोहली धरमपुर जो पवई जनपद की पंचायत है जहां आज भी सरसा ग्राम के लोगों को आवागमन के लिये सड़क तथा विद्युत व्यवस्था को लेकर गांव में जरूरत जो प्रमुख है वह समस्या बनी हुई है जिसको लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करके संदेश दिया।

पन्ना।

आखिर यहां यह कहने में कोई अतिसंयुक्ति नहीं कि आज भी दूर-दराज गांवों में विकास को लेकर आम जनता परेशानी के सबब से गुजर रही है। यहां सबका विकास सबका साथ का नारा पोल खोल रहा है जनता स्वयं ही आगे आकर बहिष्कार करने को लेकर मजबूर है विद्युत विभाग जो ऐसे गांवों व मजरों को लेकर सर्वे करके उन्हें विद्युत प्रदान करने के लिये कार्य योजना के तहत कार्य करती थी यहां क्या हुआ। इतना ही नहीं सड़क को लेकर आज भी दरकार सड़क ही विकास का प्रमुख आधार फिर लोगों की मांग चुनावी समय में ही क्यों आई क्या इसके पीछे कोई राज यहां विकास को लेकर जो पंचायत से सरपंच के माध्यम से शुरूवात होती है जो जनपद व जिला पंचायत तथा जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक के सामने बहिष्कार का मामला विधायक के चुनाव में क्यों नहीं तय हुआ। यहां बहिष्कार का यह खेल मतदान दिवस के दिन लगभग 3 बजे तक चला इसके बाद कलेक्टर पन्ना ने मामले को संज्ञान में लिया जिम्मेदारों को किया सचेत जो भरी हुआ समझाइस के बाद अंततः हुआ मतदान पर विकास की पोल खुली विकास को लेकर सड़क व विद्युत की मांग प्रमुख रूप से जो समस्यायें है उनके निदान को लेकर यह दिन जरूर समूचे जिले में जाना गया। बहिष्कार के नाम पर गांव सरसा के लोगों की दास्तां आज भी सड़क व विद्युत की दरकार। कई अनसुलझे सवाल जो आज भी मांग रहे सवाल क्या इसके पीछे कोई और है राज मामला चाहे जो हो पर सार्वजनिक हित की मांग विद्युत व सड़क की दरकार रोड नहीं तो वोट नहीं यह मांग अपने आप में लोकसभा चुनाव के दौरान समूचे जिले में मीडिया की सुर्खियां बटोरने में सामने आई है वहीं विकास की पोल भी खुल रही है। जिस तरह से आज भी ग्रामीण अंधेरे की जिंदगी जीने के लिये मजबूर है गांव के बच्चों को पढाई के लिये विद्युत का प्रकास नसीब नहीं वहीं आवागमन के लिये सड़क मार्ग नहीं आखिर मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सरसा ग्राम के लोग जीवन यापन को लेकर मजबूर तभी तो बहिष्कार लोकसभा चुनाव के दौरान करके अपनी प्रमुख मांगों को सामने लाये अब देखना यह है कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि व अधिकारी क्या इस ग्राम के लोगों को सड़क व विद्युत की मांग का समाधान समस्या निदान को लेकर कब पहल होगी। आचार संहिता के बाद क्या गांव की इन प्रमुख मांगों को लेकर पूरा करने का होगा विचार यह तो आगे का वक्त ही तय करेगा। वही बहिष्कार की कहानी की बात करें तो ग्राम सिरसा पन्ना जिले में जैसे ही बहिष्कार को लेकर मीडिया की सुर्खियां बटोरने लगा वैसे ही कलेक्टर पन्ना सुरेश कुमार ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना को जांच को लेकर जिम्मेदारी तथा ग्राम सिरसा में बहिष्कार की स्थिति नहीं है यह बात भी चर्चा में आई। मतदान केन्द्र क्रमांक 296 अंतर्गत सिरसा सहित 4 ग्राम शामिल है जिसमें 3 बजे तक कुल 1191 मतदाताओं में से 466 मतदाताओं ने मतदान कर दिया वहीं ग्राम सिरसा की कुल 345 मतदाताओं में से 52 मतदाताओं ने मतदान किया है। ग्रामीणों के समझाइस देने के उपरांत मतदान की गति भी बढ़ी और मतदाताओं द्वारा मतदान केन्द्र में उपस्थित होकर मतदान भी किया गया। पर यह दास्तां मतदान के बहिष्कार से जहां विकास की दरकार को लेकर जरूर सामने आई है।

विद्यार्थियों को दी गई अग्निपथ सेना भर्ती प्रक्रिया की जानकारी

पन्ना।

स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना उच्च शिक्षा, भोपाल मध्यप्रदेश के अंतर्गत आज दिनांक 29/04/2024 को छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस पी एस परमार के निर्देशन एवं संरक्षण तथा प्रशासनिक अधिकारी डॉ पी पी मिश्रा की उपस्थिति में विद्यार्थियों को अग्निपथ सेना भर्ती हेतु प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की गई। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के जिला नोडल अधिकारी श्री सिद्धू सिंह ने विद्यार्थियों को बताया कि भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के दो चरण होते है. चरण -1 में ऑनलाइन लिखित परीक्षा होती है। जबकि चरण-2 में फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होते है. साथ ही इन्होंने कहा कि सेना में अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट/स्टोरकीपर टेक्निकल पद के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होने लगा है। स्वामी विवेकानन्द करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के संयोजक डॉ. बी. एन. जायसवाल ने अग्निवीर भर्ती की योग्यता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीदवारों की उम्र 17 वर्ष 06 माह से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अग्निवीर जीडी के लिए 45ः अंक के साथ 10वीं पास होना चाहिए. अगर लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइवर की भर्ती में वरीयता प्रदान की जाएगी जबकि अग्निवीर टेक्निकल के लिए साइंस स्ट्रीम (फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स) से 50ः अंक से 12वीं पास होना चाहिए। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट/ स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 12वीं 60ः अंक से पास होना चाहिए। 12वीं में अंग्रेजी और गणित में 50ः अंक होने चाहिए। 12वीं में अकाउंट्स/बुक कीपिंग विषय होना जरूरी है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को अग्निवीर सेना भर्ती की विस्तृत जानकारी प्रदान करना था जिससे विद्यार्थी सेना भर्ती की प्रकिया को समझ कर, इच्छुक योग्य विद्यार्थी समय सीमा पर आवेदन कर भर्ती प्रकिया में सम्मिलित हो सकें। कार्यक्रम में अग्निवीर सेना भर्ती अधिसूचना, पदों की जानकारी, अग्निवीर सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया की विस्तृत जानकारी, आवेदन शुल्क, शारीरिक योग्यता, ऑनलाइन लिखित परीक्षा एवं मेडीकल सत्यापन की जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर डॉ. एम. के शुक्ला, डॉ. सतीश त्रिपाठी, डॉ. सचिन गोयल, डॉ. कविता परवंदा, श्री धर्मेन्द्र यादव, डॉ. अनुराधा चौरसिया व अन्य प्राध्यापक सम्मिलित हुए और विद्यार्थियों को अग्निवीर सेना में भर्ती हेतु अभिप्रेरित भी किया।

मानदेय भुगतान एवं मतगणना प्रशिक्षण की करें कार्यवाही

कलेक्टर ने टीएल बैठक में दिए

पन्ना।

लोकसभा निर्वाचन में संलग्न मतदान दल सहित अन्य टीम के लोकसेवकों के मानदेय भुगतान की कार्यवाही एक सप्ताह में सुनिश्चित करें। मतगणना दल में शामिल सुपरवाईजर, गणना सहायक एवं माइक्रो ऑब्जर्वर के प्रशिक्षण का शेड्यूल भी निर्धारित कर लें। इसके अलावा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सहित मतगणना की अन्य व्यवस्थाओं की पूर्व तैयारी भी सुनिश्चित कर ली जाए। कलेक्टर सुरेश कुमार ने उक्ताशय के निर्देश सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई टीएल बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने और प्रशिक्षण एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए बगैर सूचना के अनुपस्थित रहने वाले लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यों के लिए उपयोग किए गए वाहनों की लॉगबुक भी विधिवत संधारित कर जमा करा दें। साथ ही वाहनों के पीओएल व किराया सहित निर्वाचन की अन्य व्यवस्थाओं से जुडे फर्म व वेण्डर को राशि भुगतान अविलंब सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कलेक्टर श्री कुमार ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) द्वारा बुधवार, एक मई को स्थानीय ऑडिटोरियम में भूकंप से बचाव व राहत संबंधी मॉकड्रिल की जाना है। इसके लिए पूर्व में गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा आवश्यक समन्वय का कार्य किया जाए। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऑडिटोरियम में उपस्थित रहकर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के एनजीओ की सहभागिता सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि विभागीय अधिकारी न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर जवाबदावा दाखिल करें। आगामी टीएल बैठक में प्रकरणवार चर्चा की जाएगी। इस संबंध में अधिकारियों को डायरी संधारित कर निराकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा वन अधिनियम के तहत जारी वन व्यवस्थापन की कार्यवाही के संबंध में जारी अद्यतन निर्देश अनुसार सभी एसडीएम कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उपार्जित स्कंध का हो नियमित परिवहन- कलेक्टर ने उप संचालक कृषि, जिला आपूर्ति अधिकारी और संबंधित अधिकारियों से गेहूं उपार्जन संबंधी अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और नियमित रूप से परिवहन व भण्डारण के संबंध में निर्देश दिए। साथ ही कहा कि प्रतिदिन वांछित जानकारी से अवगत भी कराया जाए। किसी भी स्थिति में फसलों के उपार्जन के बाद उनके खराब होने की स्थिति निर्मित न हो। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी समय पर आवश्यक समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल में पेयजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। हमेशा संबंधित अमला अलर्ट मोड पर रहे। इसके अलावा पेयजल स्त्रोतों के माध्यम से आवश्यकतानुसार पेयजल व सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। निष्क्रिय बोरवेल की कैपिंग व इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ एवं ईई पीएचई को शासन के निर्देशानुसार पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा। ग्रीष्मकाल में अग्नि दुर्घटनाओं के दृष्टिगत संबंधित अमले को सदैव तत्पर रहने और सीएमएचओ को गर्मी में संभावित मौसमजनित बीमारियों के मद्देनजर चिकित्सक व मेडिकल टीम की तैनाती के लिए कहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सभी चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की मुख्यालय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से कुपोषण निवारण की प्रस्तावित कार्यवाही मिशनबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

रूंझ बांध प्रभावितों की लाभ के लिए पात्रता के संबंध में अवगत कराएं- कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग से कहा कि रूंझ व मझगायं बांध प्रभावितों का शासन के निर्देश एवं नियम अनुसार लाभ सुनिश्चित कर मामलों का निराकरण करें। इस संबंध में पात्रता सुनिश्चित करने संबंधी नियम से अवगत कराने के लिए कहा। इसी तरह आकांक्षी विकासखण्ड अजयगढ़ में राज्य नीति आयोग द्वारा निर्धारित संकेतकों के आधार पर कार्य की मॉनीटरिंग और अद्यतन प्रगति के बारे में अवगत कराने तथा बाल अधिकार आयोग की अजयगढ़ में आयोजित बेंच के दौरान प्राप्त शिकायत का संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर निराकरण कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा सतत निरीक्षण कर कार्यवाही की जाए। अपर कलेक्टर न्यायालय में लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण भी कराएं। गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध जुर्माना व अर्थदण्ड की कड़ी कार्यवाही करें। 54 हजार रूपए की लंबित वसूली के मामले में भी त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। इस संबंध में ईट राइट चौलेंज गतिविधियों के लिए विभागों से अपेक्षित कार्यवाही के लिए कहा।

तीन दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन एक मई से

पन्ना। गत एक अप्रैल से प्रारंभ नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 में सभी शासकीय व निजी विद्यालयों में पठन-पाठन शुरू हो गया है। निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावकों को पुस्तकें, यूनिफार्म, टाई, जूते, कॉपी, स्टेशनरी इत्यादि चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिए किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जा सकता है। छात्र व अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से क्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। निजी विद्यालयों के लिए प्रभावशील स्कूल शिक्षा विभाग का नियम 2020 की धारा 6 में भी उक्त प्रावधान है। छात्र एवं अभिभावकों की सुविधा के दृष्टिगत जिला स्तर पर तीन दिवसीय पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा। पन्ना जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के सभागार में 01 से 03 मई तक पुस्तक मेला लगेगा। इसमें स्थानीय स्टेशनरी विक्रेता द्वारा स्टॉल लगाया जाएगा। इसके माध्यम से पुस्तकें सहित अन्य सामग्री उचित मूल्य पर एक ही स्थान पर सुलभ तरीके से उपलब्ध हो सकेगी। डीपीसी अजय गुप्ता ने सभी स्थानीय पुस्तक व स्टेशनरी विक्रेताओं से पुस्तक मेले में अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर मेला को सफल बनाने की अपील की है। इसके अलावा सभी छात्रों व अभिभावकों से भी पुस्तक मेले में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर उचित मूल्य पर सामग्री एक ही स्थान पर स्वतंत्र रूप से क्रय करने की अपील की गई है।

सीएम हेल्पलाइन एप्लीकेशन में जोड़ा नया मॉड्यूल

पन्ना।

खुले बोरवेल से होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने राज्य शासन द्वारा सीएम हेल्पलाइन एप्लीकेशन में नया मॉड्यूल जोड़ा गया है। इस नवाचारी प्लेटफार्म के माध्यम से नागरिक खुले बोरवेल से संबंधित अपनी शिकायतें आसानी से एप्लीकेशन में दर्ज कर शासन की त्वरित कार्यवाही से लाभान्वित हो सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए उपयोगकर्ता को सर्वप्रथम गूगल प्लेस्टोर से सीएम हेल्पलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। निर्धारित स्थान पर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद उपयोगकर्ता को प्राप्त हुए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) का एप्लीकेशन द्वारा सत्यापन किया जायेगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने पर उपयोगकर्ता को सीएम हेल्पलाइन एप्लीकेशन के मेनू में दिए गए "बोरवेल शिकायत खोलें" विकल्प पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद उसे "शहरी या ग्रामीण" विकल्प के माध्यम से अपना स्थान चुनना होगा। इसी प्रकार उसे स्थान के आधार पर स्वचालित अद्यतित उपविभाग, जिला, ब्लॉक एवं अपने वार्ड या ग्राम का चयन करना होगा। उपयोगकर्ता को बोरवेल से संबंधित अपनी शिकायत का विवरण दर्ज करने के साथ ही खुले बोरवेल की तस्वीर भी कैप्चर करनी होगी। सबमिट बटन पर क्लिक करने पर उसकी शिकायत संबंधित विभाग को भेज दी जायेगी और शिकायतकर्ता को एसएमएस द्वारा शिकायत आईडी प्राप्त हो जायेगी।

नवीन शैक्षणिक, सत्र के प्रारंभ में क्रय किये जाने वाली पुस्तकें, यूनीफार्म, कॉपी, स्टेशनरी आदि सामग्री उचित मूल्य पर सुलभ कराये जाने हेतु पुस्तक मेले का आयोजन

पन्ना।

नवीन बेणिक सत्र 2024-25 दिनांक 1.4.2024 से शुरु हो गया है सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में नवीन सत्र के लिये पठन-पाठन प्रारंभ हो गया है। निजी विद्यालयों के लिये स्कूल शिक्षा विभाग का नियम 2020 प्रभावशील है नियम 2020 के धारा 8 में प्रावधान है कि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावको को पुस्तकें, यूनीफार्म, टाई, जूते, कॉपी, स्टेशनरी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से कय करने लिये औचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी रुप में बाध्य नहीं किया जाएगा। छात्र व अभिभावक इन सामग्रियो को खुले बाजार से कय करने लिये स्वतंत्र होगे। छात्र एवं अभिभावको की सुविधा को ध्यान में रखते हुये शासन द्वारा प्रत्येक जिले स्तर पर तीन दिवसीय पुस्तक मेला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस तारतम्य में जिले में 1 मई 2024 से 3 मई 2024 तक पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। पुस्तक मेला डाईट पन्ना के सभागार में स्थानीय स्टेशनरी विक्रेताओ द्वारा स्टाल लगाकर किया जायेगा। पुस्तक मेले का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रो को पुस्तकें, यूनीफार्म, टाई, जूते, कॉपी, स्टेशनरी आदि उचित मूल्य पर एक ही स्थान पर उचित मूल्य पर उपलब्ध एवं सुलभ हो सके। सभी स्थानीय पुस्तक विकताओ, स्टेशनरी विक्रेताओं से अनुरोध है कि पुस्तक मेले में अधिक से अधिक संख्या में भाग ले ताकि पुस्तक मेले को सफल बनाया जा सके। सभी छात्रो एवं अभिभावको से भी अनुरोध है कि आयोजित किये गये पुस्तक मेले में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो ताकि उचित मूल्य पर पुस्तकें, यूनीफार्म, टाई, जूते, कॉपी, स्टेशनरी आदि सामग्री एक ही स्थान पर स्वतंत्र रुप से कय कर सके।

खबर संक्षेप

ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर हेतु एसपी ने ली बैठक

छतरपुर। पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल पुलिस लाइन में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर वर्ष 2024-25 के आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक अगम जैन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी राजेंद्र कोष्टा एवं खेल प्रशिक्षकों द्वारा शिविर की आयोजन की तिथि, समय एवं भाग लेने वाले बालक बालिकाओं की आयु, इनडोर, आउटडोर खेल व मैदान एवं अन्य आवश्यक संसाधनों के संबंध में चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा जिला मुख्यालय एवं विकासखंड मुख्यालय पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर में आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर हेतु आयोजित मीटिंग में जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी राजेंद्र कोष्टा, राजकीय खेल मलखंब, जूडो, कराटे, क्रिकेट, वालीबाल, बास्केटबाल इत्यादि संबंधित खेल प्रशिक्षक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

परशुराम जन्मोत्सव के लिए ब्राह्मण समाज की बैठक आज

छतरपुर। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाने हेतु ब्राह्मण समाज द्वारा विगत रोज पुराने बिजावर नाका स्थित ब्राह्मण समाज के कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु समाज के लोगों द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए साथ ही अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। बैठक में आगामी बैठक को लेकर भी चर्चा की गई जिस पर विप्र बंधुओं एवं विप्र संगठनों के पदाधिकारियों ने आगामी 30 अप्रैल को एक बार फिर ब्राह्मण समाज के कार्यालय में बैठक कर भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को भव्य तरीके से मनाने के लिए अंतिम रूपरेखा बनाई जाएगी। समाज के पदाधिकारियों ने विप्र बंधुओं से बैठक में ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होने की अपील की है।

दुकानदार से ठगी कर ले गए बदमाश

छतरपुर। पन्ना नाका बजरंग नगर के समीप सरोज जनरल स्टोर के नाम से दुकान संचालित करने वाले दीपक कुशवाहा और उनकी पत्नि सरोज कुशवाहा ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि नन्नू खान नाम का एक व्यक्ति जनरल स्टोर का सामान विक्रय करने के नाम पर उनसे रूपयों की ठगी कर गया। उन्हें 48 हजार रूपए का माल बताकर 5 हजार रूपए का माल थमाकर चला गया जब सामग्री का मिलान किया गया और इसकी शिकायत नन्नू खान से की गई तो उसने उलटी धमकियां देना शुरू कर दिया और यह भी कहा कि वह पैसे वापस नहीं करेगा। अब दुकानदार ने इस मामले की शिकायत थाने में करते हुए जांच की मांग की है।

सिंगल यूज प्लाष्टिक के विरुद्ध मुहीम चलाने के निर्देश

कलेक्टर ने नगरीय निकायों को निर्देश दिए कि सिंगल यूज प्लाष्टिक के विरुद्ध मुहीम चलाते हुए कार्यवाही करें। साथ ही अधिक प्रकाश देने वाले स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने आधार कार्ड से समग्र आईडी को लिंक कराएं। उन्होंने कहा जिन लोगों के ईकेवायसी अधूरी है उनकी केवायसी कराएं। कलेक्टर श्री जी.आर. ने कहा कि कार्यालयों में आने वाले लोगों की समस्याएं सुने और निराकरण करें। उन्होंने टीएल प्रकरणों एवं राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में निपटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के संतुष्टीपूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए जहां ज्यादा केस लंबित है।

बकस्वाहा पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा

उधारी के पैसों को लेकर की थी महिला की हत्या

छतरपुर

25 अप्रैल 2024 को थाना बक्सवाहा में वार्ड क्रमांक 2 के एक घर में महिला के शव होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलने पर थाना बक्सवाहा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मर्ग कायम कर मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम हेतु चिकित्सालय भेजा गया। मर्ग जांच, शव परीक्षण रिपोर्ट, फरियादिया, साक्षियों के कथनों, घटना स्थल के भौतिक निरीक्षण से एकत्र साक्ष्यों के आधार पर हत्या का अपराध घटित पाये जाने से थाना में अपराध क्रमांक 137/24 धारा 460,302 भादवि अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने उक्त अंधे कत्ल का खुलासा करने एवं अज्ञात आरोपी की तलाश कर अतिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर निर्देशित किया था। पुलिस टीम द्वारा घटना दिनांक से लगातार अज्ञात आरोपी की तलाश की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल पर भौतिक साक्ष्यों एवं तकनीकि साक्ष्यों के आधार एवं मुखबिर की सूचना पर संदेही दलुआ बसोर पिता जूजू बसोर उम्र 45 साल निवासी वार्ड क्रं.2 बकस्वाहा को हिरासत में लेकर साइंटिफिक तरीके से पूछताछ की गई।

संदेही दलुआ द्वारा घटना दिनांक को मृतिका के पुत्र एवं पुत्री द्वारा शादी में रिश्तेदारी में बाहर चले जाने व मृतिका घर में अकेली होने से रात्रि करीब 8 बजे मृतिका के कमरे में अंदर घुसकर मृतिका को पूर्व में दिये गये पैसे मांगने, मृतिका द्वारा पैसे देना मना करने पर मसाला बांटने के पत्थर से सिर में प्राणघातक हमला कर हत्या करना स्वीकार किया गया। अभियुक्त को न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बक्सवाहा निरीक्षक कृपाल मार्को, उनि कादिर खान चौकी प्रभारी नैनागिर, उनि श्याम बेन चौकी प्रभारी बम्हौरी, प्र.आऱ हरिराम अहिरवार, आवेश सिंह, उमाशंकर कटारे, आर. मलखान सिंह, उमेश राय, राहुल प्रजापति, दिग्विजय सिंह, चालक पियूष प्रधान एवं नगर रक्षा समिति के सदस्य अक्षय बुन्देला, शालू जैन की सराहनीय भूमिका रही।

भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा तैयार करने ब्राम्हण समाज की बैठक हुई

नौगांव। ब्राह्मण समाज की बैठक हुई आयोजित आगामी 10 मई 2024 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मंगलाचरण व स्वस्तिवाचन ,सुंदरकांड का पाठ ,ब्राह्मण बेटियों द्वारा भजन गायन एवं युवा ब्राह्मण कवियों द्वारा भगवान परशुराम पर कविता पाठ कर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। 10 मई को बिलहरी रोड स्थित ब्राम्हण समाज भवन में होगा भगवान परशुराम जी का भव्य जन्मोत्सव कार्यक्रम। बैठक में युवा ब्राम्हण समाज सभा के अध्यक्ष सुशील द्विवेदी ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की जिसे समस्त वरिष्ठजनों ने आशीर्वाद प्रदान करते हुये सामाजिक कार्यों में युवाओं की भागीदारी का आव्हान किया। ब्राह्मण समाज सभा नौगांव के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी शीघ्र ही ब्राह्मण परिवारों का सर्वे एवं महिला इकाई के गठन का निर्णय समाज के समक्ष रखा। बैठक का संचालन ब्राह्मण समाज सभा नौगांव के प्रवक्ता सनातन रावत ने किया।

पैदल जा रहे वृद्ध को बाईक सवारों ने मारी टक्कर, वृद्ध घायल

छतरपुर। बिजावर क्षेत्र के ग्राम कोडन्न के रहने वाले एक वृद्ध को रगोली के समीप बाईक सवारों ने टक्कर मार दी जिससे वे बुरी तरह जख्मी हो गए। टक्कर मारने के बाद बाईक सवारों ने उन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य केन्द्र ले गए और वहां परिजनों को सूचना देने के बाद गायब हो गए।जानकारी के अनुसार कोडन्न निवासी 75 वर्षीय नंदलाल अहिरवार दोपहर करीब 12 बजे रगोली की ओर पैदल जा रहे थे तभी पीछे से आ रहे बाईक सवारों ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे वे घायल हो गए। बाईक सवारों ने उन्हें स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज के लिए छोड़ा और परिजनों को सूचना दी। हालात गंभीर होने पर परिजन वृद्ध नंदलाल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाए हैं जहां उनका उपचार किया जा रहा है।

नाबालिग बच्ची से महीनों तक चार लोगों ने किया रेप

गर्भ ठहरने पर शिकायत, मुकदमा दर्ज, आरोपियों की तलाश

छतरपुर

छतरपुर शहर में एक 14 साल की बच्ची के साथ चार लोगों के द्वारा पिछले कई महीनों से लगातार रेप करने और उसे गर्भवती बना देने का घृणित मामला सामने आया है। लड़की के गर्भवती होने के बाद उसके माता-पिता ने शहर के एक थाने में एफआईआर दर्ज कराई जिस पर पुलिस ने चार लोगों के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया है। सीएसपी अमन मिश्रा ने बताया कि लड़की पिछले कुछ महीनों से परिवार से जुड़े इन चार लोगों के द्वारा रेप की शिकार हो रही थी। जब उसे पेट में दर्द शुरू हुआ तो उसने माता-पिता को इसकी जानकारी दी। माता-पिता ने मामले की शिकायत थाने में आकर करते हुए आरोपियों के विषय में जानकारी दी जिसके आधार पर चार लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

बहिन और परिवार ने एसपी को सौंपा शिकायती ज्ञापन

प्रेम प्रसंग के चलते की गई भाई की हत्या

छतरपुर। सटई थाना क्षेत्र के ग्राम छापर के रहने वाले एक 25 वर्षीय युवक देवीदीन अहिरवार का शव 30 मार्च को सड़क पर क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद किया गया था। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद इसे हादसा माना था लेकिन अब इस मामले में परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं।

पुलिस पर हत्या को हादसा बनाने के आरोप

देवीदीन अहिरवार की बहिन हरकुंवर अहिरवार और उसके परिवार ने सोमवार को एसपी अगम जैन के कार्यालय में आकर एक शिकायती ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाए हैं कि देवीदीन अहिरवार का प्रेम प्रसंग गांव की ही रहने वाली निशा अहिरवार के साथ था। यह रिश्ता निशा के परिवार को पसंद नहीं था इसलिए उसकी मां गौरीबाई और भाई सूरज अहिरवार उसे कई बार धमका चुके थे। 30 मार्च की शाम करीब 5 बजे देवीदीन अहिरवार घर से खेती के काम के लिए निकला था और फिर उसकी हत्या कर दी गई। अगले दिन सुबह उसकी लाश संदिग्ध अवस्था में मिली। उसके शरीर पर मारपीट के निशान थे लेकिन पुलिस ने इसे दुर्घटना बताया है। परिवार को संदेह है कि देवीदीन की हत्या की गई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि इस मामले की गंभीर जांच कराई जाए ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके।

बोलेरो की टक्कर से ई-रिक्शा सवार पांच लोग घायल

छतरपुर। शहर के पन्ना रोड पर एक तिलकोत्सव समारोह में शामिल होने आए मातगुवां के अहिरवार परिवार के पांच सदस्यों को वापस लौटते समय मातगुवां के समीप अज्ञात बोलेरो ने ई-रिक्शा में पीछे से टक्कर मार दी जिससे ई-रिक्शा में सवार सभी लोग घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार घायल दीपक ने बताया कि बीती रात वह अपने परिवार के साथ पन्ना रोड पर स्थित एक मैरिज गार्डन में तिलकोत्सव समारोह में शामिल होने आया था। यहां से पूरा परिवार ई-रिक्शा से मातगुवां वापिस लौट रहा था तभी मातगुवां के समीप रात्रि करीब 11 बजे पीछे से आ रही अज्ञात बोलेरो ने उनके वाहन में जोरदार टक्कर मार दी जिससे ई-रिक्शा में सवार सभी लोग बुरी तरह घायल हो गए। एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं टक्कर मारने के बाद बोलेरो चालक वाहन लेकर फरार हो गया।

शहर में लगा पुस्तक और कॉपियों का मेला

सस्ती दरों पर मिल रहीं किताब, कॉपियां, शिक्षा विभाग का आयोजन

छतरपुर

शहर के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में 29 अप्रैल से दो दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन शुरू हो गया है। कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने शहर के कई दुकानदारों की सहायता से स्कूल के खेल मैदान में यह पुस्तक मेला आयोजित किया है। इस पुस्तक मेले के माध्यम से विभिन्न कक्षाओं में पढऩे वाले विद्यार्थियों की स्कूली किताबें और कॉपियां डिस्काउंट के साथ सस्ते दामों पर बेची जा रही हैं। दुकानदार यहां शिक्षा विभाग के निर्देश पर अभिभावकों को डिस्काउंट दे रहे हैं। कलेक्टर के इस प्रयास से उन अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी जो विभिन्न प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से लूटे जा रहे हैं। स्कूलों के द्वारा अपनी निश्चित दुकानों पर ही अपने विद्यार्थियों हेतु तय किए गए कोर्स की किताबें और कॉपियां विक्रय कराईं जाती हैं जिससे अभिभावकों को 30 से 40 प्रतिशत तक महंगी सामग्री खरीदनी पड़ती है। शिक्षा विभाग के सहायक संचालक आरपी प्रजापति ने बताया कि यह मेला दो दिनों तक शिक्षा विभाग की देखरेख में आयोजित किया जाएगा। अभिभावक यहां आकर बच्चों के लिए किताबें और कॉपियां खरीद सकते हैं। विभिन्न किताब, कॉॅपियों पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। शिविर के आयोजन के दौरान शिक्षा विभाग के बीआरसी केके अग्रिहोत्री, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी किरण कौशिक सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

कॉलेज के छात्रों ने एक दिवसीय अल्प विराम के माध्यम से जाना मानवीय मूल्य

मानें नहीं स्वयं के अधिकार पर जांचें: लखन लाल असाटी

छतरपुर। स्वामी प्रणवानंद महाविद्यालय एवं मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज के लगभग 100 विद्यार्थियों ने एक दिवसीय अल्पविराम कार्यक्रम के माध्यम से खुद में जांच परख कर मान्यताओं, संवेदनाओं और सहज स्वीकृति को समझने का प्रयास किया, राज्य आनंद संस्थान की ओर से लखनलाल असाटी ने कहा कि यहां सारी बातें प्रस्ताव के रूप में है जिसे मनाना नहीं है अपितु खुद के अधिकार पर उनकी जांच परख करनी है। आनंद विभाग की मास्टर ट्रेनर श्रीमती आशा असाटी, आनंदम सहयोगी रामकृपाल यादव योग गुरु, शिवनारायण पटेल पंचायत सचिव के साथ लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉ रजत सत्पथि, प्रणवानंद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ शैलेंद्र राय, प्रो अर्चना शुक्ला, प्रो नरेंद्र अग्रवाल एवं रजिस्ट्रार नरेंद्र खरे प्रमुख रूप से उपस्थित थे, शुरुआत रामकृपाल यादव द्वारा योग क्रियायो से की गई। आशा असाटी ने आनंद की ओर सत्र के माध्यम से आनंद की परिभाषा और उसके घटने और बढने पर विद्यार्थियों से जांच परख कराई। शिवनारायण पटेल ने बताया कि उनका आनंद कब घटता है और कब बढ़ता है। इस दौरान विद्यार्थी आकांक्षा गुप्ता, पुण्य प्रताप सिंह, बाबू सिंह चंदेल, अगम्या सिंह, रुचि दुबे, निवेदिता, आयुष्मान अग्रवाल, खातून आदि ने

अपने विचार रखें। विद्यार्थियों की शेयरिंग से जो बात उभर कर आई उसमें आनंद का आधार उनके संबंध थे खासकर उनके अपने परिवार से, परंतु वह खुद और उनके परिवार का समय और फोकस संबंध के निर्वाह की जगह सुविधा जोडने पर उन्हें अधिक दिखाई दिया। लखन लाल असाटी ने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि हमें अपनी आवश्यकताओं की ठीक ठीक पहचान हो जाए। आवश्यकताओं की पहचान करते समय हमें सेल्फ और बॉडी को अलग-अलग देखना होगा। क्योंकि बॉडी की आवश्यकता फिजिकल एवं केमिकल पदार्थ है जो कि बहुत लिमिटेड मात्रा में लगते हैं, परंतु सेल्फ की आवश्यकता भाव के तौर पर विश्वास सम्मान, प्रेम की है जो सतत चाहिए है। विद्यार्थियों से प्रस्ताव रूप में सारी बात की गई और कहा गया कि उन्हें प्रत्येक प्रस्ताव को खुद में जांचना और परखना है उनके अंदर एक सहज स्वीकृति बनी हुई है जिसके आधार पर वह सही-सही निर्णय ले सकते हैं और सही निर्णय ही उनके सुख का आधार बनता है। शिक्षा का काम छात्र का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है परंतु यदि पढ़े लिखे व्यक्ति से समाज को भय लगता है तो फिर शिक्षा पर काम करने की जरूरत है यहां मानवीय मूल्य पर काम करने की जरूरत है शिक्षक अपने विषय तक सीमित नहीं रह सकते हैं उन्हें उसके आगे बढ़कर काम करना होगा।

पीने के पानी की समस्याओं का तत्काल निराकरण करें: कलेक्टर

बिना अनुमति के नहीं हो बोरवेल, खसरे में अपडेशन करने के निर्देश

छतरपुर। कलेक्टर संदीप जी.आर. की अध्यक्षता में सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष छतरपुर में टीएल बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तपस्या परिहार, एडीएम मिलिंग नागदेवे, एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ एवं जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री जी.आर. ने बैठक के प्रारंभ में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के शांति पूर्ण सम्पन्न कराने के लिए अधिकारियों को बधाई दी। साथ सभी किए गए कार्यों के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम की लगातार विजिट करते रहे और राजनैतिक दलों को भी विजिट कराएं। उन्होंने कहा निर्वाचन संबंधी कार्यवाही के प्रस्ताव आने पर तत्काल एक्शन लें। एसडीएम को दुकानों से राजस्व वकाया राशि वसूलने के निर्देश दिए और बिना अनुमति के बोरवेल न हो इसके संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि गांव में ढोंडी पिटवाएं कि बोरवेल का खसरा में अपडेशन हो सके। उन्होंने कुंओं की साफ-सफाई के लिए मुहीम चलाने के निर्देश दिए।

खाली कुएं में गिरी गाय, 24 घंटे बाद निकाली गई

महाराजपुर नपा की लापरवाही सामने आयी

महाराजपुर। जिले के महाराजपुर नगरपालिका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 में स्थित विशाल चौरसिया के मकान से बाजू में बने खाली कुएं में बेजुबान पशु गिर गया। जिसकी सूचना पास में ही रहने वाले विशाल पटेल ने नपा सीएमओ को फोन पर देने की कोशिश की थी लेकिन सीएमओ ने कॉल रिसीव नहीं किया। बेजुबान जानवर एक दिन तक उसी कुएं में पड़ा रहा। जैसे ही यह घटना की खबर वायरल हुई तो गौरक्षक समाजसेवी राहुल चौरसिया मौके पर पहुंचे और 40 फिट गहरे खाली कुएं में गाय को देखकर कुएं में उतरे और नगरपालिका कर्मचारी के साथ रेस्क्यू चलाया गया। यह रेस्क्यू 2 घंटे तक चला। आखिरकार जेसीबी की मदद से सकुशल बेजुबान जानवर को बाहर निकाला गया।

खबर संक्षेप

कमिश्नर आज करेंगे पेयजल व्यवस्था की समीक्षा

रीवा। रीवा संभाग के कमिश्नर गोपालचन्द्र डाड 30 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से आयोजित गूगल मीट में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसमें जल जीवन मिशन से पेयजल की आपूर्ति, हैण्डपंपों के सुधार की व्यवस्था तथा पेयजल परिवहन की समीक्षा की जायेगी। बैठक में संभाग के सभी जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन तथा पीएचई विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे।

समर्थन मूल्य पर हुई 158204 क्विंटल गेहूं की खरीद

रीवा जिले में निर्धारित खरीदी केन्द्रों में एक अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीद की जा रही है। जिले में 29 अप्रैल तक 2646 किसानों से 1582024 क्विंटल गेंहू की खरीद अब तक की गयी है। इसके लिए किसानों को 379 करोड़ 69 लाख 10 हजार की राशि मंजूर की गयी है। इस संबंध में अपर कलेक्टर तथा प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती सपना त्रिपाठी ने बताया कि उपार्जित गेंहू का भण्डारण कराया जा रहा है। अब तक खरीदे गये गेंहू में से 96655 क्विंटल गेंहू का परिवहन किया जा चुका है। अब तक किसानों के बैंक खाते में 43 करोड़ 6 हजार 533 रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। गेंहू खरीदी के लिए अब तक 5877 किसानों ने स्लॉट बुक किये हैं। जिले में सहकारी समितियों के मध्याम से गेंहू का उपार्जन किया जा रहा है। अधिकतर खरीदी केन्द्र गोदाम स्तर पर बनाये गये हैं।

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय की एक और उपलब्धि

रीवा। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के दन्त रोग विभाग के चिकित्सकों द्वारा विगत कई वर्षों से दाँतों के अलावा चेहरे एवं जबड़े की सर्जरी की जाती रही है, विभाग में विगत कुछ दिन पहले एक 18 वर्ष की महिला नीले वाले जबडे में सूजन के साथ कटनी से आई थी जाँच करने पर पता चला कि नीचे वाले जबडे में एमिलोब्लास्टोम ट्यूमर है। जिसके इलाज में आधा जबडा काट कर निकालना पड़ता है। चूँकि महिला अभी युवती थी, इसलिये उसका जबडा काट कर नकली जबडा लगाने का निर्णय लिया गया। पेशेंट स्पेसिफिक इम्पलांट, जो कि मरीज के जबड़े की प्रतिकृति होती है। यह तकनीक 1 वर्ष पहले ही भारत में आई है। इस शल्य क्रिया को विभाग की प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, डॉ. गीता त्रिपाठी, डॉ. करूणा जिन्दवानी, डॉ. तौसीफ एवं डॉ. आकांक्षा द्वारा निश्चेतना विशेषज्ञों के सहयोग से की गयी। यह सर्जरी विन्ध्य क्षेत्र में पहली बार की गई है. इस सर्जरी के बाद बच्ची स्वस्थ्य है व उसकी छुट्टी कर दी गई है। कुछ महीने बाद उसके नकली जबड़े में नकली दाँत लगा दिये जायेंगे, जिससे वह खाना खा सकेगी। अभी तक विभाग के द्वारा दस हजार के ऊपर जबडे एवं चेहरे के फ्रेक्चर के केश किये जा चुके हैं, इसके अलावा चेहरे की अन्य बीमारियों जैसे विभिन्न प्रकार की गठानें, ट्यूमर व जबड़े के अकड़ने का भी इलाज करते जा रहे हैं। पहले इन सर्जरियों के लिए मरीज नागपुर, जबलपुर, भोपाल, इन्दौर आदि शहरों में जाते थे। दन्त रोग विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. गीता मिश्रा त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि पूरे मध्यप्रदेश में शासकीय डेन्टल कॉलेज इन्दौर के बाद सबसे ज्यादा जबडे एवं चेहरे की सर्जरी यहीं की जाती है। इस तरह की सर्जरी में बेहोशी, सर्जरी, ई.एन.टी. एवं मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों का भी अहम योगदान रहा है।

वृद्धाश्रम एवं जेल का निरीक्षण

रीवा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनीटर श्री बालकृष्ण गोयल ने अपने रीवा जिले के प्रवास के दौरान वृद्धाश्रम एवं केन्द्रीय जेल का निरीक्षण किया। स्वागत भवन स्थित वृद्धाश्रम के निरीक्षण के दौरान उन्होंने वृद्धजनों के आधार कार्ड होने तथा उन्हें मिल रही पेंशन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि वृद्धजनों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक माह वृद्धाश्रम में वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं।

मानव अधिकारों का किसी भी स्थिति में उल्लंघन न हो - श्री गोयल

मानव अधिकारों के प्रति सचेत होकर कार्य करें

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मानीटर की बैठक सम्पन्न

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के स्पेशल मानीटर बालकृष्ण गोयल की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन कर मानवाधिकार, बाल संरक्षण, पोस्को एक्ट, जेजे एक्ट, वृद्ध जनों के अधिकार, जेल में निरूद्ध कैदियों के अधिकारों आदि पर विस्तृत चर्चा की गई।

रीवा.

बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, एसडीएम हुजूर वैशाली जैन सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

स्पेशल मानीटर श्री गोयल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन तथा कार्यों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन को किसी भी स्तर पर बर्दास्त नहीं करता है। हम सभी को अपने कार्य क्षेत्र में मानव अधिकारों के संरक्षक के रूप में सचेत होकर कार्य करने की आवश्यकता है। बच्चे, बुजुर्ग एवं महिलाओं से संबंधित शिकायतें न हों तथा उनके प्रति अपराध भी न हों इस पर कड़ी नजर रखी जाय। उन्होने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। कई बार लोग जानकारी के अभाव में शोषण और उत्पीड़न का शिकार होते हैं। जन जागरूकता से शोषण एवं उत्पीड़न से उनका बचाव किया जा सकता है। उन्होने बताया कि पीड़ति व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आयोग शिकायतों को संज्ञान में लेकर तत्परता से कार्यवाही करता है।

श्री गोयल ने सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर एक टीम के रूप में सकारात्मक वातावरण में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होने पोस्को एक्ट, जेजे एक्ट, लैंगिक उत्पीड़न, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार, भिक्षावृत्ति आदि के विषय में जन चेतना लाने के निर्देश दिए हैं। विद्यालयों में गुडटच, बैडटच के विषय में बच्चों को समझाइस देने की बात कही हैं। उन्होंने वृद्धाश्रम में जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश दिये। उन्होने शासकीय संस्थाओं, विद्यालयों, छात्रावासों, चिकित्सालयों, बाल सुधार गृह, जेल, वृद्धाश्रम आदि के संचालन के लिये मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील होकर करने के लिए निर्देशित किया। स्पेशल मानीटर ने सभी विभागों को नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जिले में अनाथ बच्चियों के संरक्षण के लिये स्थल चयन के लिये प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि मानव अधिकार हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है। यह हमें गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है। मानव अधिकारों के संरक्षण के रूप में शासकीय सेवकों तथा संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। पीड़ति के अधिकारों की रक्षा के लिए दोषियों को भी विहित प्रावधानों का पालन करते हुए सजा दी जाती है। उनके मानवाधिकार को भी ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने जेल में व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली तथा महिला बंदियों के लिये चिकित्सा सुविधा विस्तार के निर्देश दिये। उन्होंने सुरक्षित स्कूल वाहन परिवहन हेतु व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने आश्वस्त किया कि सभी अधिकारी मानव अधिकारों के प्रति सजग रहकर अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे।

बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, सहायक संचालक महिला बाल विकास आशीष द्विवेदी सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

हत्या के प्रयास मामले में फरार आरोपी, रीवा पुलिस के इनपुट पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार

रीवा।

जिले के सिविल लाइन थाना अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर के पास लगभग 6 माह पूर्व कलेक्ट्रेट परिसर के पास बाइक सवार युवकों ने एक युवक के ऊपर देसी कट्टे से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया था। इस मामले में पीड़ित द्वारा सिविल लाइन थाने में कुलदीप सिंह परिहार उर्फ लकी मेंटल व उसके अन्य साथियों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उसी समय से इस मामले का मुख्य आरोपी और लकी मेंटल फरार चल रहा था। जिसको लेकर रीवा पुलिस गंभीर थी। मामले की जांच में जुटे पुलिस दल द्वारा आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। जांच में जुटी टीम को सूचना मिली की हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी वर्तमान समय में प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहकर फरारी काट रहा है और जीवको उपार्जन के लिए मछली बेचने का काम कर रहा है। रीवा की टीम द्वारा भोपाल क्राइम ब्रांच को इस मामले से अवगत कराया गया। जिसके उपरांत भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने रीवा पुलिस दल द्वारा बताए गए पते पर दबिश देकर लगभग 6 माह से फरार चल रहे लकी मेंटल को गिरफ्तार किया है वही गिरफ्तारी की सूचना रीवा पुलिस दल दी गई है। रीवा पुलिस दल उक्त आरोपी को लेने भोपाल रवाना हो गई है।

घर से कन्या महाविद्यालय के लिए निकली दो छात्रा रहस्यमय तरीके से लापता

परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार

रीवा।

जिले के गुढ़ थाना अंतर्गत रहने वाली जीडीसी कॉलेज की दो छात्रा रहस्य में ढंग से लापता हो गई है। कार्रवाई न होने पर परेशान परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार गुढ़ थाना अंतर्गत रहने वाले रज्जन बसोर ग्राम रेरुआ ने बताया कि उनकी पुत्री चांदनी बसोर उम्र 19 वर्ष व आरती बसोर उम्र 15 वर्ष जीडीसी कॉलेज रीवा में पढ़ती है। 23 तारीख को चांदनी बसोर और आरती बसोर घर से सुबह जीडीसी कॉलेज में पढ़ाई के लिए निकली थीं। लेकिन दोनो छात्रा शाम होने पर घर वापस नहीं लौटी तो परिजनो ने दोनो छात्रा चांदनी और आरती को काफ़ी ढूंढा लेकिन दोनो छात्राओं का कुछ पता नहीं चला। तो परिजनो ने गुढ़ थाने में जाकर गुमशुदगी दर्ज कराई। वही परेशान परिजनों ने गुढ़ थाने के कई बार चक्कर लगाए। लेकिन दोनो छात्राओं का पता नहीं चला। वही छः दिन बीत जाने के बाद परिजनों ने सोमवार को पुलिस अधिक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक ने न्याय कि गुहार लगाई है परीजनो का कहना कि कहीं चांदनी और आरती कोई अपहरण कर लिया है। जिससे दोनो बच्चियों का कोई पता नहीं चल पा रहा है।

इनका कहना है

परिजनों द्वारा छात्राओं के गुमशुदगी की रिपोर्ट गुढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है जिसको विवेचना में लेकर पतातलाशी की जा रही है छात्राओं का मोबाइल नंबर भी बंद है साइबर एवं अन्य माध्यमों से पता तलाशी की जा रही है।

हिमाली पाठक
हेड क्वार्टर
डीएसपी रीवा

मातृशक्ति को समर्पित "सिन्धियत जो मेलो" हुआ समापन

रीवा।

मातृशक्ति को समर्पित दो दिवसीय सिन्धियत जो मेलो का स्थानीय कृष्णा राजकपूर आडोटोरियम में सिन्धु यूथ विंग सामाजिक सांस्कृतिक संस्था रीवा द्वारा भव्यतापूर्ण आयोजन किया गया। जिसके समापन अवसर पर भजन गायिका लता लालवानी दिल्ली व बाल कलाकार हर्षल चंदवानी सिन्धु आइडियल राजस्थान ने अपनी मनमोहक भक्ति संगीत की प्रस्तुति देकर देर रात तक बैठने के लिए मजबूर कर दिया। आयो लाल झूलेलाल के भजनों में झूमते गाते श्रोतागण आन्दित होते रहे।

मेले के द्वितीय दिवस 29 अप्रेल को समाज के अध्यक्ष सरदार प्रहलाद सिंह ने भगवान श्री झूलेलाल जी की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मेले में कटनी, सतना, मैहर एवं रीवा की महिलाओं द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हस्तनिर्मित उत्पादों के स्टॉल लगाये जिनमें बरी, पापड़, अचार, बुटीक, केश सज्जा, छोटे बच्चों के कपड़े, स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल मुख्य रूप से रहे।मेला कार्यक्रम के दूसरे दिन के मुख्य अतिथि सरदार प्रहलाद सिंह ने आयोजन के लिए सिन्धु यूथ विंग, रीवा के संस्थापक संरक्षक सचनि डूँडानी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मेले के माध्यम से समाज में महिलाओं एवं बच्चों में एक नई उर्जा का संचार होगा। उन्होने कहा कि जब अलग-अलग स्थानों पर रहने वाले परिवार का एक साथ संगम होता है तो उनके विचारों के आदान प्रदान से मिलने जुलने से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है।

नरवाई में आग लगाने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही

रीवा।

जिले में कृषकों तथा पशुपालकों को भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा गर्मियों में होने वाली आग की दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए जा चुके हैं। यह आदेश सम्पूर्ण रीवा जिले में लागू है। आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करके नरवाई जलाने पर दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 2500 रुपए, दो से पाँच एकड़ तक के किसानों पर 5000 रुपए तथा पाँच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिशः तामीली संभव नहीं है इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सूचना आमजनता को दी जा रही है। जारी आदेश के अनुसार रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों को आग के हवाले करने वाले किसानों के खिलाफ अब कठोर कार्यवाही की जाएगी। हार्वेस्टर के माध्यम से गेंहू की कटाई करने पर उसमें स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिन हार्वेस्टरों में अवशेष प्रबंधन सिस्टम नही होगा, उन्हें गेंहू काटने की अनुमति नही दी जायेगी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। जिले में चलने वाले कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिला परिवहन अधिकारी इसकी निगरानी करें। इसका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही करें। खेत में नरवाई जलाने से मिट्टी के कई लाभदायक सूक्ष्मजीव एवं जैविक कार्बन जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिसके कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। इसकी जल धारण क्षमता घट जाती है। इसलिए नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा जारी 2017 के नोटिफिकेशन में नरवाई जलाने पर दण्ड आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भी फसल अवशेष अथवा नरवाई को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर किसान पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश को पालन कराने के लिए उप संचालक कृषि को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पटवारी के साथ नरवाई जलाने की घटनाओं का प्रतिवेदन तैयार कर तहसीलदार को भेजने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार नरवाई जलाने वाले किसानों की सुनवाई करके एसडीएम के माध्यम से अंतिम निराकरण के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक एवं समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है।

विद्यार्थियों को कलेक्टर करेंगी सम्मानित

रीवा। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा घोषित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में राज्य स्तरीय प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान समारोह एक मई को कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा गुप्ता ने सभी संबंधित संस्था प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावकों को भी उक्त सम्मान समारोह में उपस्थित होना सुनिश्चित कराएं।

नदी के घाटों में दुर्घटना से बचाव के सभी उपाय करें - कलेक्टर

घाटों में संकेतक लगाकर लोगों को सचेत करें - कलेक्टर

रीवा।

शहर के मध्य से बहने वाली बीहर नदी के घाटों में दुर्घटना से बचाव के उद्देश्य से संकेतक लगाकर लोगों को सचेत करें। साथ ही सभी चिन्हित 10 घाटों में दुर्घटना से बचाव के उपाय सुनिश्चित कराएं। उक्त आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने नगर निगम के अधिकारियों को दिए। उन्होंने करहिया घाट का भ्रमण किया। इस दौरान आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन भी उपस्थित रहीं। कलेक्टर ने कहा कि गर्मी के दिनों में अक्सर नदी में लोग नहाने जाते हैं। नदी का प्रवाह अधिक होने व उसकी गहराई का अनुमान न होने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी घाटों में संकेतक लगाकर लोगों को सचेत किया जाए तथा गहराई की सीमा के लिए नदी में बांस लगा दें ताकि उस क्षेत्र से आगे लोग नहाने के लिए न जाएं। उन्होंने शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों में भी दुर्घटना से बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान जिला कमाण्डेंट होमगार्ड वीरेन्द्र सिंह जादौन भी उपस्थित रहे।